न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : – डिक्री 155 सन् 2017

पंजीयन दिनांक :– 25.07.2017

आशादेवी पत्नि राधेश्याम जाति गोयल निवासी नया बाजार नीमच तहसील व जिला नीमच मध्यप्रदेश

–अपीलांट

विरुद्ध

1. डालु पिता तेजराम जाति जाट–मृतक के बजाय
   1. रतनलाल पिता डालु जाति जाट निवासी बोजुन्दा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
   2. नारायणलाल पिता डालु जाति जाट निवासी बोजुन्दा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
   3. नारायणीबाई पुत्री डालु जाति जाट निवासी बोजुन्दा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
   4. देऊबाई पुत्री डालु जाति जाट निवासी बोजुन्दा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
   5. छरमूबाई पत्नि डालु जाति जाट निवासी बोजुन्दा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरुद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ केम्प कोर्ट सहनवा
प्रकरण संख्या 347/2016 वाद प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2017

उपस्थित :– 1. राशिदुल गफुर– अधिवक्ता अपीलान्ट
2. छोगालाल जाट–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 से 1/5
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2

निर्णय **दिनांकः– 31.01.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादपत्र धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा बोजुन्दा तहसील चित्तौड़गढ की कृषि आराजीयात

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)

आराजी नम्बर 619,620,620/926 कुल किता 3 कुल रकबा 0.89 हैक्टेयर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का 2/5 एवं अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 का 3/5 हक व हिस्सा निहित है जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी व अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने अलग-अलग बहनामे से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। वर्तमान मे विवादित कृषि आराजीयात संयुक्त खातेदारी मे दर्ज चली आ रही है, परन्तु पक्षकारान के मध्य विवादित कृषि आराजीयात मे विधिवत बंटवाडा नही होने से आये दिन विवाद होता रहता है जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी अपने निहित 2/5 हिस्से अनुसार कृषि आराजीयात का बंटवाडा कराने का अधिकारी है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर होने से तथा अपीलान्ट प्रतिवादी का हिस्सा बोजुन्दा की तरफ से आने-जाने वाले मुख्य मार्ग पर होने से अपीलान्ट प्रतिवादी ने रेस्पोडेन्ट वादी के हिस्से की कृषि आराजीयात आराजी नम्बर 620/926 के पश्चिमी मेड पर स्थित रास्ते को बन्द कर दिया है जिससे रेस्पोडेन्ट वादी अपने खेत मे आ-जा नही पा रहा है जिससे अपीलान्ट प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना भी आवश्यक है।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट वादी की ओर से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। उक्त पत्रावली तामील मे विचाराधीन थी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त पत्रावली दिनांक 30.06.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सहनवा मे नियत की गई, जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र बंटवाडे से सम्बन्धित होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने के प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे कमिश्नर तहसीलदार चित्तौड़गढ के द्वारा विवादित कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे उभयपक्षकारान को सूचित किया जाकर फर्द बंटवाडा, राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। उक्त फर्द बंटवाडा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से व बंटवाडा नियम के परिप्रेक्ष्य मे सही होना मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2018 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किये गये।

प्रतिवादीया सं. 1 अपीलान्ट ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2017 से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय मे प्रथम अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की।

अपीलान्ट प्रतिवादिया सं. 1 की ओर से इस न्यायालय मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जाकर रेस्पोडेन्टगण वादी व प्रतिवादी सं. 2 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के वारिसान जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादी की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट वादी ने अपीलान्ट प्रतिवादीया सं. 1 व रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादी के विरूद्ध मोजा बोजुन्दा की कृषि आराजीयात में निहित हक हिस्से व कब्जे अनुसार रास्ते को मध्यनजर रखते हुए बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। अपने वादपत्र मे यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का कब्जा राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ है व अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा बोजुन्दा की तरफ है उसी अनुसार बंटवाडा कराया जावे। उक्त आशय का वादपत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर दिनांक 28.12.2016 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.02.2017 नियत की गई। उक्त दिनांक को भी पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य मे व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.06.2017 नियत की गई जिसमे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादीगण की तामील होना शेष थी। राज्य सरकार के आदेशानुसार उक्त पत्रावली को दिनांक 30.06.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सहनवा मे नियत की गई जिसमे बिना तामील के व बिना अपीलान्ट प्रतिवादीया सं. 1 को सूचित किये, बिना किसी लिखित राजीनामे के राजस्व लोक अदालत के तहत गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से व कब्जे को मध्यनजर रखते हुए बंटवाडा किये जाने के प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये है। सम्पूर्ण कार्यवाही एक पक्षीय की गई। रेस्पोडेन्ट वादी के स्वर्गवास हो जाने पर कायम मुकाम की कार्यवाही रेकार्ड पर नही ली गई। इस न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद अंतिम निर्णय व डिक्री किये है जिसमे अपीलान्ट प्रतिवादी की आपत्ति का कोई उल्लेख नही किया गया। इसलिये अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध संयुक्त खातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का 2/5 एवं अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 का 3/5 हक व हिस्सा निहित है उसी अनुसार मौके पर कब्जे अनुसार बंटवाडा किये जाने का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए राज्य सरकार के

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत का गठन किया गया। दिनांक 30.06.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सहनवा मे उक्त पत्रावली नियत की गई। उक्त पत्रावली कृषि आराजीयात के बंटवाडे से सम्बन्धित होने से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार बंटवाडा किये जाने के प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये। तत्पश्चात् प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ को फर्द बंटवाडा प्रस्तुत किये जाने के लिये कमिश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने उभयपक्षकारान को सूचित कर अपने अधीनस्थ अधिकारियो के साथ राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 24.07.2017 को प्रस्तुत किया, उसके पश्चात् भी उक्त फर्द बंटवाडे पर किसी भी पक्षकारान की ओर से आपत्ति प्रस्तुत नही होने पर कमिश्नर के द्वारा तैयार किये गये फर्द बंटवाडे को विधिनुसार होना मानते हुए अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 01.05.2018 को पारित किये गये। अपीलान्ट प्रतिवादिया सं. 1 ने अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 01.05.2018 के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नही की है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2017 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 01.05.2018 मे समायोजित हो चुकी है जिससे अपीलान्ट प्रतिवादिया की ओर से प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पोषणीय नही रहती है। अपीलान्ट प्रतिवादिया सं. 1 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 2 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री जो अंतिम निर्णय व डिक्री मे समायोजित हो चुकी है जिससे अपीलान्ट प्रतिवादिया की ओर से प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को न्यायोचित नही होना मानते हुए अपीलान्ट प्रतिवादिया की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। उक्त पत्रावली तामील मे विचाराधीन रहते हुए अपरिपक्व पत्रावली में पक्षकारों को बिना सूचना पत्र की तामील व बिना किसी लिखित राजीनामे के दिनांक 30.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प सहनवा मे नियत की जाकर गुणावगुण पर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये है जिनके विरूद्ध प्रतिवादीया सं. 1 अपीलान्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

इस न्यायालय मे दिनांक 25.07.2017 को अपील प्रस्तुत कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पर स्थगन आदेश प्राप्त किया है उसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का स्वर्गवास हो चुका था, फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की नाम कायम की कार्यवाही नही की। अपीलीय न्यायालय का स्थगन आदेश होते हुए कमिश्नर द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किये है, जो विधिसम्मत नही होने से अपीलान्ट प्रतिवादीया सं. 1 की ओर से प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपीलान्ट प्रतिवादीया सं. 1 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ के प्रकरण संख्या 347/2016 रेवेन्यू वाद मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2017 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर जाप्ता दिवानी के प्रावधानों की पालना करते हुए अजसरे नव निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान सुनवाई हेतु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 22.03.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)